राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–09 (लो0सू0अ0)/2022–23
श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.05.2022	श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–30.04.2022 इस कार्यालय में दिनांक–05.05.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–58F 869363 दिनांक–अस्पट जो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पक्ष में देय है, संलग्न है। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु लेखा शाखा को भेजे। अपीलकर्त्ता श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–26.03.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–26.03.2022 की प्रति भी संलग्न की है। लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–26.03.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–24.05.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। ह0/- 6/5/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–09 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.05.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी अपीलार्थी श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–26.03.2022, जो दिनांक–30.03.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्रांक–908 दिनांक–21.10.2019 पर कृत कार्रवाई की सूचना की माँग की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि जन शिकायत, राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–20 दिनांक–13.04.2022 के माध्यम से आवेदक से प्राप्त आवेदन को लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, बेली रोड, पटना को भेजा है तथा राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–86 दिनांक–17.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराई है। पुनः विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ने अपने पत्रांक–96 दिनांक–09.05.2022 के माध्यम से कारण सहित अपीलार्थी श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता का आवेदन लौटाया गया है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी ने पुनः राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–87 दिनांक–20.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध कराई गई है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध सभी सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 24/5/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या—09 / 2022—23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.05.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी अपीलार्थी श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम—शेकहारा—2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट—बरौनी—851112, जिला—बेगूसराय, बिहार से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक—26.03.2022, जो दिनांक—30.03.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्रांक—908 दिनांक—21.10.2019 पर कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी—सह—लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि जन शिकायत, राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक—20 दिनांक—13.04.2022 के माध्यम से आवेदक से प्राप्त आवेदन को लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, बेली रोड, पटना को भेजा है तथा राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक—86 दिनांक—17.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराई है। पुनः विशेष कार्य पदाधिकारी—सह—राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ने अपने पत्रांक—96 दिनांक—09.05.2022 के माध्यम से कारण सहित अपीलार्थी श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता का आवेदन लौटाया गया है। प्रशाखा पदाधिकारी—सह—लोक सूचना पदाधिकारी ने पुनः राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक—87 दिनांक—20.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध कराई गई है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध सभी सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। ह0/ 24/5/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक— 655/रा0स0(iii) दिनांक— 26-05-2022

प्रतिलिपिः— लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम—शेकहारा—2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट—बरौनी—851112, जिला—बेगूसराय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 26/5/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी

98